

18-9-19 कृषि व मत्स्य विभाग के कार्यों के अभाव में
लोकेशन नं० 23-11-19 को पेश हो।

23-10-19 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब के कार्यों पर है।
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयुक्त दिनांक 20-11-19
को पेश हो।

रीडर

20-11-19 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब के कार्यों पर है।
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयुक्त दिनांक 23-12-19
को पेश हो।

रीडर

23-12-19 कृषि व मत्स्य विभाग के कार्यों के अभाव में
लोकेशन नं० 22-1-20 को पेश हो।

कोई मजदूर नुमांश
नहीं है मर. लोकेशन
का 2 का उतर
आवृत्त नहीं है
22.1.2020

22-1-20 कृषि व मत्स्य विभाग के कार्यों के अभाव में
लोकेशन नं० 22-1-20 को पेश हो।

10-2-20 कृषि व मत्स्य विभाग के कार्यों के अभाव में
लोकेशन नं० 4-3-20 को पेश हो।

4-3-20 कृषि व मत्स्य विभाग के कार्यों के अभाव में
लोकेशन नं० 1-4-20 को पेश हो।

राज लोकेशन द्वारा लोकेशन नं०

अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयुक्त दिनांक 29-4-20
को पेश हो।

रीडर

ग्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट किशनगढ़वास (अलका)

हुकूम या कार्रवाई पर ही निम्नलिखित बातें

22-7-20 जाज हरका द्वारा जारी कार्रवाई के
अनुसार कार्रवाई के लिए कार्रवाई के लिए

अनुसार कार्रवाई के लिए कार्रवाई के लिए
उपखण्ड के अधिकारी कार्रवाई दिनांक 22-7-20
को देर हो।

दिनांक

22-7-20 जाज हरका द्वारा जारी कार्रवाई के
अनुसार कार्रवाई के लिए कार्रवाई के लिए

अनुसार कार्रवाई के लिए कार्रवाई के लिए
उपखण्ड के अधिकारी कार्रवाई दिनांक 22-7-20
को देर हो।

दिनांक

22-7-20 वकील वादी उपन वकील वादी ने वकील वादी को
दिनांक 22-7-20 को देर हो।

दिनांक

25-8-20 जाज हरका द्वारा जारी कार्रवाई के
अनुसार कार्रवाई के लिए कार्रवाई के लिए

अनुसार कार्रवाई के लिए कार्रवाई के लिए
उपखण्ड के अधिकारी कार्रवाई दिनांक 25-8-20
को देर हो।

दिनांक

30-9-20 जाज हरका द्वारा जारी कार्रवाई के
अनुसार कार्रवाई के लिए कार्रवाई के लिए

अनुसार कार्रवाई के लिए कार्रवाई के लिए
उपखण्ड के अधिकारी कार्रवाई दिनांक 30-9-20
को देर हो।

दिनांक

11-11-20 वकील वादी उपन वकील वादी ने वकील वादी को
दिनांक 25-11-20 को देर हो।

25-11-20 जाज हरका द्वारा जारी कार्रवाई के
अनुसार कार्रवाई के लिए कार्रवाई के लिए
उपखण्ड के अधिकारी कार्रवाई दिनांक 25-11-20
को देर हो।

दिनांक

24-2-21 वकील वादी उपन वकील वादी ने वकील वादी को
दिनांक 24-2-21 को देर हो।

24-2-21 वकील वादी उपन वकील वादी ने वकील वादी को
दिनांक 24-2-21 को देर हो।

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट किशनगढ़बास (अल

हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज

दिनांक
7.4.21

वकील वकील उप. वास्ते पेश करने दर- 22(3)
जा. दी. को दि. 31/5/21 को पेश हो।

31/5/21 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब को रोना
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 1/6/21
को पेश हो।


रीडर

1/6/21 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 5/1/21
को पेश हो।

रीडर

4-10-21

वकील वकील उप. वास्ते पेश करने जा. दी. 22(3) पर
पी.ओ. साहब युवाव गयी में व्यस्त हो दिनांक 18-10-21
को पेश हो।

18-10-21 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब युवाव में व्यस्त
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 30-11-21
को पेश हो।

8-12-21

आज पत्रावली प्रशासन गंभीर डे रंग इन्विसम में शाखपं०
मुख्यालय पर पेश हुई निर्णय मधे हो सका कि
2-2-22 को पेश हो।

2-2-22

वकील वकील उप. वास्ते पेश करने जा. दी. प्रथम 22(3)
जा. दी. दिनांक 6-4-22 को पेश हो।


य उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज


1-22 वकील वादी उप०। वास्ते पेश करने प्रा.पत्र 22(3)
जा.दी. दिनांक 18-5-22 को पेश हो।



18-5-22
पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहव
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर मगरे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक... 7-22
को पेश हो।


रीडर

~~18-5-22~~
~~पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहव~~
~~अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर मगरे हैं।~~
~~उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक... 7-22~~
~~को पेश हो।~~

~~~~
~~रीडर~~

7-9-22 वकील वादी उप०। वास्ते पेश करने प्रा.पत्र
22(3) जा.दी. दि. 12-10-22 को पेश हो।

12-10-22 वकील वादी उप०। वास्ते पेश करने प्रा.
पत्र 22(3) जा.दी. दि. 15-11-22 को पेश
हो। स

15/11/22 वकील वादी उप०। वास्ते पेश करने प्रा.पत्र
22(3) जा.दी. दि. 12-12-22 को पेश हो। स

12-12-22 वकील वादी उप०। वास्ते पेश करने प्रा.पत्र 22(3)
जा.दी. दिनांक 9-1-23 को पेश हो। स

09-01-23 पत्रावली पेश हुई - वास्ते पेश करने प्रा.पत्र 22(3)
वादी नमूना वकील वादी को उप० नहीं।
समाख्य के समग्र समाप्ति की ओर है।
अतः दृष्टा वादी नमूना चपरी नमूना
पेशी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फूटल समार चैकर दायित्व
लेख मगरे हो। स